



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 369]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 18, 2013/माघ 29, 1934

No. 369]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 2013/MAGHA 29, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2013

का.आ. 400(अ).—केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1097(अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 34 के 14.400 कि.मी. से 452.700 कि.मी. तक (कोलकत्ता से दलखोला सेक्शन) का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है ;

और उक्त अधिनियम, 1988(1988 का 68) की धारा 14 के उपबंधों के अनुसरण में प्राधिकरण ने मैसर्स रायगंज - दलखोला हाइवेज लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय हिनकोन हाउस लाल बहादुर शास्त्री मार्ग विक्रोली (पश्चिम), मुम्बई - 400083, भारत में है (जिसे इसमें इसके बाद "रियायतग्राही" कहा गया है), राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 34 के 398.000 कि.मी. से 452.750 कि.मी. तक (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खण्ड कहा गया है) रायगंज से दलखोला सेक्शन के विकास के लिए 29.12.2009 को प्रस्तुत की गई बोलियों के लिए सफल बोलीदाता है को उक्त खंड के चार लेन के विभाजित कौरिज़वे के रूप में विकास तथा प्रचालन और अनुरक्षण के लिए करार (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त करार कहा गया है) किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8 क द्वारा सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त रिटर्न यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार में निहित अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु निवल सड़क खण्ड की लम्बाई के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर फीस (जिसे इसमें इसके बाद "आधार दर" कहा

गया है) उद्ग्रहीत और संग्रहीत की जाएगी और पुलों/संरचना/बाइपास, जिनकी लागत पचास करोड़ या अधिक है, का उपयोग करने वाले नीचे सारणी 1 और 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी सं. 2 में निर्दिष्ट आधार दरों पर फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत की जाएगी, और वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, करार में निर्दिष्ट अवसान की तारीख तक फीस का संग्रहण करने तथा उसे प्रतिधारित के लिए उक्त रियायतग्राही को प्राधिकृत करती है ;

सारणी 1

यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार दर (रूपये में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर यान	0.65
हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल यान अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) अथवा मिट्टी खोदने के उपकरण(इएमइ) अथवा मल्टी बहुधुरीय वाहन(एमएवी)(तीन से छह धुरी वाले)	3.45
बहुत बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी 2

फीस की आधार दर (प्रति फेरा प्रति यान रूपए)

स्थायी पुल, अथवा सुरंग की लागत(करोड़ रू. में)	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान	हल्के वाणिज्यिक यान, हल्का माल यान या मिनी बस	ट्रक या बस	एचसीएम, इएमइ या एमएवी (तीन से छह धुरी वाले)	बहुत बड़े आकार वाला वाहन
10 से 15	5	7.50	15	22	30
पन्द्रह करोड़ रूपये से अधिक और एक सौ करोड़ रूपये तक प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रूपये अथवा उसके भाग, के लिए	1	1.50	3	4.50	6
एक सौ करोड़ रूपये से अधिक और दो सौ करोड़ रूपये तक	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50

प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपये अथवा उसके भाग, के लिए					
--	--	--	--	--	--

टिप्पण :-

1. इसके अधीन फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी के लिए शोध्य और संदेय होगा ।

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	लंबाई (कि.मी. मं) जिसके लिए फीस संदेय है
411.250 कि.मी., थाना बराई गांव के पास, उत्तर दिनाजपुर जिले में	34.600

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास के उपयोग के लिए, जिसकी लागत नीचे विनिर्दिष्ट की गई है, की फीस भी निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय करनी होगी :

टोल प्लाजा की अवस्थिति (चेनेज)	लम्बाई(कि.मी. में) और बाइपास/संरचना की लागत (करोड़ रुपए में) जिसके लिए अतिरिक्त फीस का संदाय करना होगा	
	लम्बाई	लागत
411.250 कि.मी., थाना बराई गांव के पास, उत्तर दिनाजपुर जिले में	12.200 कि.मी.	92.40 करोड़ रुपए
	7.950 कि.मी.	58.60 करोड़ रुपए

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन गैर - वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से 20 कि.मी. के भीतर रहता हो उसके लिए वर्ष 2012- 13 के लिए मासिक पास की दर 200.00 रुपए (दो सौ रुपए मात्र) प्रतिमाह होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार, उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

4. राजमार्ग सेक्शन पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किये जाएंगे , अर्थात् :-

संदेय रकम	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुणा	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की रकम का दो तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क मार्ग उपलब्ध न हो।
6. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
7. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
9. ऊपर सारणी 1 तथा 2 में यथा उल्लेखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. की आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक आधार पर संशोधन किया जायेगा परन्तु शर्त यह है कि छह महीने के अन्दर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, कम-से-कम अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के एक-एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्र/13013/620/11-12/सी ओ/जीसी रायगंज-दलखोला(398.00-452.75) बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2013

S.O. 400(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number SO 1097 (E) dated the 4th August, 2005, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 14.400 to kilometer 452.700 (Kolkatta to Dhalkhola section) of National Highway No. 34 in the State of West Bengal to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Raiganj – Dalkhola Highways Limited, having its registered office at Hincan House, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West) Mumbai, 400083 (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 29.12.2009 for the development of Raiganj – Dalkhola section from Km 398.000 to Km 452.750 on National Highway No. 34 (hereinafter referred to as the "said section") to four laning operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length 34.600 km for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at the base rates specified in the Table No.2 for bypass/bridges /structures costing Rupees Fifty crore or more and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE-1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

TABLE-2

Cost of permanent bridge, or tunnel (Rupees in crore)	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus	HCM, EME or MAV	Oversized Vehicle
10 to 15	5	7.50	15	22	30
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore.	1	1.50	3	4.50	6
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees one hundred crore and up to Rupees two hundred crore.	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees two hundred crore.	0.50	0.75	1.50	2.25	3

Notes : -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km/Ch. 411.250 (Design Chainage) (near Barai village in Uttar Dinajpur district)	34.600

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass and structure, cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza:

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length & Names of bypass (in km) for which additional fee is payable	
	Length	Cost
Km/Ch. 411.250 (Design Chainage) (near Barai village in Uttar Dinajpur district)	12.200 Km	Rs. 92.40 Crore
	7.950 Km	Rs. 58.60 Crore

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 200.00 (Rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
6. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.
8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.
9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 & 2, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within six months and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

[F. No. NHAI/13013/620/11-12/CO/GC Raiganj-Dalkhola (398.00-452.75) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.